(61)

183

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़,

(मुख्य वन संरक्षक - अनुसंधान एवं विस्तार शाखा)

अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड़, रायपुर (छ0ग0)

फोन एवं फैक्स: 0771-2552234 ई मेल: ccfre@rediffmail.com

क्रमांक/ अनु. एवं वि./ बजट/2009 10/01/04/ 618 रायपुर, दिनांक 27.08.2011

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/कार्य आयोजना बिलासपुर

समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)/कार्य आयोजना/अनुसंधान एवं विस्तार

छत्तीसगढ़

विषय :– हरियाली प्रसार योजना के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव ।

---00---

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/अनु.एवं वि./बजट/2010/01/573 रायपुर, दिनांक 05.08.2011 द्वारा हरियाली प्रसार योजना के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक/एफ 6–2/2010/10–2 रायपुर दिनांक 30.08.2011 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया शासन द्वारा सहमति व्यक्त किये गये प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक (अनु0 एवं वि0)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/ अनु. एवं वि./ बजट/2009–10/01/04/ 619 रायपुर, दिनांक 27.08.2011

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफिसर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ0ग0 रायपुर।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना), छ0ग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक (अनु0 एवं वि0)
छत्तीसगढ़, रायपुर

(62)

(39) 284

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक एफ 6–2 / 2010 / 10–2 रायपुर, दिनांक 23/08/2011

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़ रायपुर ।

विषयः– हरियाली प्रसार योजना के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव ।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. / अनु.वि. / बजट / 2010 / 01 / 573, रायपुर दिनांक 5.08.2011 ।

—00—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

हरियाली प्रसार योजना के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन बाबत् आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर शासन द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है ।

संलग्न :– हरियाली प्रसार योजना का संशोधित स्वरूप ।

(यूनुस अली) 19/8/11
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग

3012
25-8-11

मुख्य वन संरक्षक
(अनुसंधान एवं विस्तार)

963
20/8/11

वर्ष 2011–12 के बजट में प्रस्तावित (संशोधित) हरियाली प्रसार योजना

योजना का नाम	हरियाली प्रसार योजना
योजना का उद्देश्य :	1. पड़त भूमि का विकास 2. कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना। 3. ग्रामवासियों की आर्थिक उन्नति। 4. पर्यावरण में सुधार
योजना का संक्षिप्त विवरण :	कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामवासियों की आर्थिक उन्नति हेतु हरियाली प्रसार योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के इच्छुक कृषकों को उनकी पड़त भूमि में उनकी इच्छित प्रजाति के न्यूनतम 50 पौधे तथा अधिकतम 5000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किये जायेंगे। हितग्राही द्वारा पौधा रोपण हेतु उपयुक्त नाप के गढ्ढों की खुदाई स्वयं के व्यय से करनी होगी। हितग्राही की पड़त भूमि पर हितग्राही द्वारा खोदे गये गढ्ढों में वर्षा ऋतु में पौधों का रोपण एवं दो बार निदाई–गुड़ाई कर भावी रख–रखाव के लिए हितग्राही को सौंप दिया जायेगा। पौधों के रखरखाव हेतु आगामी 2 वर्षो में 1/– रूपये प्रति पौधे की दर से प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा। योजना अंतर्गत मुख्यतः खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, नीलगिरी, सिरस, मुनगा तथा शीशू आदि पौधे रोपित किये जायेंगे। हितग्राहियों का चयन स्थानीय ग्राम पंचायत/संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जायेगा। इस रोपण में प्रति पौधा 15 रूपये सामान्य पौधों के लिये तथा 17 रुपये क्लोनल पौधों के लिये व्यय आंकलित है जिसमें प्रथम वर्ष में पौधा तैयारी, पौधा परिवहन, रोपण, 2 बार निदाई एवं खाद तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में खाद व जीवित पौधों पर अनुदान का व्यय शामिल है। रोपण हेतु प्रजातियों का चयन हितग्राही की सहमति से किया जायेगा। भू–राजस्व संहिता के प्रचलित नियमों के अंतर्गत भू–अभिलेखों में इस रोपण का इंद्राज किया जायेगा ताकि पौधों के परिपक्व होने पर हितग्राही को विदोहन में कठिनाई न हो।
रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां :	खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, नीलगिरी, सिरस, मुनगा, शीशू तथा शरीफा इत्यादि।
योजना के क्षेत्र :	योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी। कम वन क्षेत्र वाले जिलो दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर में अधिक लक्ष्य दिया जायेगा।
योजना लागत :	योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख पौधों का रोपण रु. 6 करोड़ रूपये की लागत से किया जायेगा। इस योजना में आगामी 5 वर्षो में लगभग 60 हजार हितग्राहियों की भूमि में कुल 2 करोड़ पौधों का रोपण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग रु. 30 करोड़ रूपये व्यय होगा।
वित्तीय स्त्रोतः	यह योजना राज्य आयोजना सामान्य, आदिवासी उपयोजना एवं विशेष घटक योजना के अंतर्गत क्रियान्वित करना प्रस्तावित है।
योजना से लाभ :	1. प्रति वर्ष लगभग 4 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन। 2. पड़त भूमि का विकास। 3. पर्यावरण में सुधार। 4. वनोपज के उत्पादन में वृद्धि। 5. भू–जल स्तर में सुधार।

मुख्य वन संरक्षक(अनु0 एवं वि0)
छत्तीसगढ़, रायपुर